

प्रेषक,

पी0 गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 17 मई, 2024

विषय:- उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-80, 89, 98 एवं 101 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-20/2023/857/एक-1-2023-1-1099/3514/ 2020 दिनांक-01.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 यथासंशोधित की धारा-80, 89, 98 एवं 101 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के त्वरित निस्तारण हेतु निम्नवत निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन करने तथा उक्त कार्यों की निरन्तर समीक्षा करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को समय-समय पर अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है:-

क्र0	राजस्व संहिता की धारा	स्तर	निर्धारित समय	
1	धारा-80	उपजिलाधिकारी	45 दिन	
2	धारा-89 (विहित सीमा 5.0586हे0 से अधिक क्रय करने की अनुमति)	कलेक्टर (20.2344हे0 तक)	45 दिन	
		मण्डलायुक्त (20.2344हे0 से 40.4688हे0 तक)	60 दिन	
		शासन में जिलाधिकारी के प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्व परिषद एवं सम्बन्धित विभाग की संस्तुति प्राप्त करने की प्रक्रिया (40.4688हे0 से अधिक)	30 दिन	
3	धारा-98	कलेक्टर (अनुज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु)	45 दिन	
4	धारा-101	उपजिलाधिकारी (सामान्य श्रेणी की भूमि)	45 दिन	
		आरक्षित श्रेणी की भूमि	कलेक्टर (राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभाग तथा भारत सरकार के वाणिज्यिक विभाग हेतु रु 40 लाख तक की वस्तु की अनुज्ञा हेतु।)	60 दिन
			मण्डलायुक्त 1. भारत सरकार व राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभाग हेतु रु 40 लाख से अधिक की वस्तु की अनुज्ञा हेतु। 2. प्राइवेट व्यक्तियों/निजी उद्योगों/ संस्था/न्यास आदि के लिए अनुज्ञा हेतु	60 दिन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- धारा-80 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के संबंध में यह भी अवगत कराना है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अनापत्ति हेतु 30 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गयी है। यदि 30 दिन के भीतर आपत्ति/ अनापत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इसे डीमड टू नो आब्जेक्शन मान कर निस्तारित कर दिया जाएगा।

3- संज्ञान में आया है कि मण्डल स्तर एवं जनपद स्तर पर उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 यथासंशोधित की धारा-80, 89, 98 एवं 101 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नहीं किया जा रहा है। निवेश मित्र पोर्टल पर भी कई प्रकरण लम्बित दर्शाया जा रहा है, जिसके कारण प्रदेश में उद्योगों के विकास एवं निवेशकों/उद्यमियों को कार्य निष्पादन निर्धारित अवधि में सम्पन्न करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त जिन प्रकरणों का निस्तारण किया गया है, उनकी स्थिति निवेश मित्र पोर्टल पर अपलोड/अपडेट नहीं किया जा रहा है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वर्णित कार्यों के लिए शासनादेश दिनांक-01.09.2023 में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर ही कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय। मण्डलायुक्त अपने स्तर से इन प्रकरणों का नियमित अनुश्रवण मासिक समीक्षा बैठक/मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक में अनिवार्य रूप से करें। निवेश मित्र पोर्टल के अन्तर्गत लम्बित प्रकरणों का समीक्षा कर राजस्व परिषद एवं शासन को आख्या 15 दिन में प्रेषित करें। इन प्रकरणों में विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही भी करें।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

पी० गुरुप्रसाद

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ।
- (3) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- (4) प्रतिनिधि, इन्वेस्ट यू०पी०।
- (5) राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम रतन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।